न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 135/2022(2022/00135)

सरोजबाला धर्मपत्नी श्री विनोद कुमार जाति सुथार निवासी पन्नीवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. हजारा सिंह पुत्र श्री सादा सिंह जाति जटसिख निवासी एालिया तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया, तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

–रेस्पोडेण्ट

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध निर्णय दिनांक 27.04.2022, प्र. सं. 84/2019
अनवान हजारा सिंह बनाम सरोजबाला
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

उपस्थितः–
श्री लालचन्द वर्मा अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री खुशप्रीत सिंह संधू अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1
श्री रविन्द्र कुमार भोबिया राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 सं0 2

निर्णय दिनांक 23.05.22

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सहायक कलक्टर संगरिया के समक्ष रेस्पोडेण्ट व अपीलाण्ट के मध्य धारा 251 –क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र विचाराधीन था। उक्त प्रकरण में दिनांक 27.04.2022 को अपीलाण्ट की आराजी चक 16 एफटीपी के प. न. 173/249 [illegible] ला न. 6 में 0.018 है0 रास्ता स्वीकृत किया गया था। उक्त आदेश से व्यथित [illegible] ने यह अपील पेश की है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर उभयपक्ष ने [illegible] को राजीनामा प्रस्तुत किया एवं लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर पंचातय द्वारा राजीनामा करवा दिया है तथा मुताबिक राजीनामा पक्षकार के मध्य तय हुआ है कि सहायक कलक्टर संगरिया के आदेशदिनांक 27.04.2022 अपीलाण्ट की खातेदारी कृषि भूमि चक 16 एफटीपी तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:31:03 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

संगरिया के प. नं. 173/249 (58) के किला नं. 6 में उत्तरी दिशा में पूर्व से पश्चिम 0.018 है0 रास्ता स्वीकृत फरमाते हुए अपीलाण्ट को डीएलसी दर की दुगुनी राशि अदा किये जाने के आदेश फरमाये थे। अब अपीलाण्ट एवं रेस्पेडेण्ट के मध्य अपील के प्रक्रम पर राजीनमा हो गया है तथा रेस्पोडेण्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत रास्ता की एवज में अपीलाण्ट को अपनी खातेदारी कृषि भूमि चक 16 एफटीपी खाात संख्या 92/56 सम्वत 2069–2072 में विभाजन में प्राप्त कृषि भूमि पत्थर नंबर 173/249 के किला नं. 7 में पूर्वी सिरे पर उत्तर से दक्षिण 0.036 है0 भूमि मुआवजा स्वरूप देने के लिए सहमत है तथा रेस्पोडेण्ट तहसीलदार राजस्व संगरिया के समक्ष जमा करवाई गई राशि प्राप्त करना चाहता है। मौके पर रास्ता चालू कर दिया है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

4. उभयपक्ष लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर मुताबिक राजीनामा निर्णय करवाने पर सहमत हैं अतः मुताबिक राजीनामा अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.04.2022 में मुताबिक राजीनामा आंशिक संशोधन किया जाकर **"मंजूर किये गये रास्ते के बदले डीएलसी दर की दुगुनी राशि की हद तक आदेश निरस्त किया जाता है एवं स्वीकृत रास्ता की एवज में रेस्पोडेण्ट हजारा सिंह की खातेदारी कृषि भूमि चक 16 एफटीपी खाता संख्या 92/56 सम्वत 2069–2072 में पत्थर नंबर 173/249 (58) के किला नं. 7 में पूर्वी सिरे पर उत्तर से दक्षिण 0.036 है0 स्वीकृत किये गये रास्ते की भूमि को छोड़ते हुए अपीलाण्ट सरोजबाला के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा रेस्पोडेण्ट तहसीलदार राजस्व संगरिया के समक्ष जमा करवाई गई राशि प्राप्त करे। तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करे तथा डी.एल.सी. रेट से दोगुनी राशि 30,000 /– रूपये (अखरे तीस हजार रूपये मात्र) रेस्पोडेण्ट संख्या 1 हजारा सिंह को वापिस रिफण्ड करे। शेष अपीलाधीन आदेश चक 16 एफटीपी प. नं.173/249 (58) किला नं. 6 में 0.018 है0 पूर्व से पश्चिम किला नं. 5 से चिपता हुआ रास्ता स्वीकृति की हद तक यथावत रखा जाताहै।** अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23/5/22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/5/22
(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:31:03 IST
Reason: SelfAttested